भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2283** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

राष्ट्रीय जलमार्ग-3 का विस्तार

†2283. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय जलमार्ग मानकों के अनुरूप एकल उत्तर-दक्षिण अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का अनुरोध किया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (कोल्लम कोझिकोड) के विस्तार के रूप में अतिरिक्त खंडों के लिए मंजूरी देने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि उपलब्ध मानकों के अनुसार पश्चिमी तट नहर के कोवलम से कोल्लम और कोझिकोड से बेकल जलखंडों को राष्ट्रीय जलमार्ग की उपयुक्त श्रेणी (श्रेणी-I/श्रेणी-III) के रूप में घोषित करने के लिए कदम उठाए जाएं।

(ख): भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-3 को केरल में कोट्टापुरम से कोझिकोड तक पहले ही जलखंड कर दिया है। इस प्रकार, राष्ट्रीय जलमार्ग-3, बेकल से कोवलम तक के सम्पूर्ण जलमार्ग विस्तार में से उत्तर में कोझिकोड से दक्षिण में कोल्लम तक के सम्पूर्ण व्यवहार्य जलखंड को कवर करता है। राष्ट्रीय परिवहन योजना एवं अनुसंधान केन्द्र, तिरुवनंतपुरम द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों के अनुसार, उत्तर में बेकल से कोझिकोड तक तथा दक्षिण में कोल्लम से कोवलम तक के शेष जलखंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने पर विचार नहीं किया जा सका।

*****